प्रेषक.

श्री एम०पी० टण्डन, उप सचिव एवं उप विधि परामशीं उत्तर प्रदेश शासन, विधान भवन

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक

न्याय (कन्वेयसिंग अनुभाग

लखनकः दिनांकः 29 जुलाई, 1975

महोदय.

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप अपनी कम्पनी के आर्टिकिल्स आफ् एसोसिएशन में निम्नलिखित आर्टिकिल्स शामिल करने की यथासमभव शीर्घ कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

- "(a) The Governor of Uttar Pradesh may from time to time, issue directives to the Company as to the exercise and performance of its functions in matters involving the security of the State of substential public interest & such other directives as he may consider necessary in regard to the finances and conduct of business and offairs of the Company and in the like manner may very & annual and such directive (s). The Company shall give immediate effect to the directive (s) so issued.
- (b) The Governor of Uttar Pradesh may call for such returns, accounts and other information with respect to the properties and activities of the Company as may be required by him & rom time to time."
- 2- मुझे यह भी कहना है कि आप अपनी सब्सीडियरी कम्पनी में भी उपरिलिखित आर्टिकिल्स शामिल करने की यथासमभव शीघ्र कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। भविष्य में जो कम्पनी आप म्थापित करायें उनमें कृपया यह ध्यान रखें कि उपरिलिखित आर्टिकिल भी शामिल किया जाय।